न्यूज़ टुडे

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर निर्णय के लिए समय-सीमा निर्धारित की

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में राज्य विधान-मंडल से पारित विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा संविधान के **अनुच्छेद 200 के अंतर्गत सहमति देने या उसे रोके रखने से संबंधित शक्तियों को स्पष्ट** किया।

- शीर्ष न्यायालय ने **पूर्ण न्याय सुनिश्चित** करने के लिए **अनुच्छेद 142 के अंतर्गत दिए गए उसके विशेषाधिकारों का प्रयोग** करते हुए यह आदेश पारित किया।

तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल वाद पर निर्णय के मुख्य बिंदु

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के तहत राज्यपाल को **"पूर्ण वीटो" या "पॉकेट वीटो" की शक्ति प्राप्त नहीं** है। अनुच्छेद 200 में प्रयुक्त **"यथाशीघ्र"** शब्द राज्यपाल द्वारा **शीघ्रता से निर्णय लेने की आवश्यकता** को दर्शाता है।
  - **पूर्ण वीटो:** यह विधायिका से पारित विधेयक को मंजूरी देने से रोकता है।
  - **पॉकेट वीटो:** इसके तहत विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और उसे अनिश्चितकाल तक लंबित रखा जाता है।
- **विधान-मंडल द्वारा फिर से पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता:** यदि पुनर्विचार के लिए भेजे गए विधेयक को विधान-मंडल बिना बदलाव के फिर से पारित करता है और उसमें कोई मूलभूत परिवर्तन न हो तो **राज्यपाल को उस विधेयक पर अनिवार्य रूप से सहमति देनी होगी।**
- **राज्य सरकार की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य:** सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल को राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना ही होगा; **उसके पास स्वतंत्र विवेकाधिकार नहीं है।**
  - **अपवाद:** हालांकि, यदि किसी पारित विधेयक से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां प्रभावित होती हैं तो राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
- **सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विधेयक पर राज्यपाल द्वारा यथाशीघ्र कार्रवाई के लिए स्पष्ट समय सीमाएं निर्धारित** की हैं। (इन्फोग्राफिक देखिए)।
  - यदि राज्यपाल दी गई समय-सीमाओं का पालन नहीं करता है, तो उसकी निष्क्रियता की न्यायालय द्वारा समीक्षा की जाएगी।

संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विधेयकों पर राज्यपाल के सहमति की प्रक्रिया

- **राज्यपाल के पास विकल्प:** विधान-मंडल से पारित विधेयक पर राज्यपाल को निम्न में से कोई एक विकल्प अपनाना होगा:
  - विधेयक पर **अपनी सहमति** देना;
  - विधेयक पर **अपनी सहमति रोकना; तथा**
  - विधेयक को **राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित** रखना।
- **विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना:** राज्यपाल गैर-धन विधेयक को संशोधन हेतु अनुशंसा के साथ पुनर्विचार हेतु विधान-मंडल को वापस लौटा सकता है।
  - यदि विधान-मंडल उसी विधेयक को **संशोधन के साथ या बिना संशोधन के** फिर से पारित करता है, तो राज्यपाल को उस विधेयक पर अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी होगी।
- **विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना:** यदि कोई विधेयक हाई कोर्ट की शक्तियों को प्रभावित करता है, तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है।

जीनोमइंडिया प्रोजेक्ट के प्रारंभिक निष्कर्ष जर्नल 'नेचर जेनेटिक्स' में प्रकाशित हुए

जीनोमइंडिया प्रोजेक्ट के प्रारंभिक निष्कर्षों में **भारत के 9,772 व्यक्तियों में 180 मिलियन आनुवंशिक वेरिएंट** का पता चला है।

- **जीन वेरिएंट DNA अनुक्रम** में एक स्थायी परिवर्तन है, जो एक जीन निर्मित करता है।
- जीनोम एक व्यक्ति या प्रजाति में मौजूद **आनुवंशिक सामग्री (कुछ में DNA या RNA)** का संपूर्ण सेट है।

अध्ययन के बारे में

- **कवरेज:** तिब्बती-बर्मन, इंडो-यूरोपियन, द्रविड़ियन और ऑस्ट्रो-एशियाटिक तथा **मिश्रित आबादी सहित अन्य जनजातीय समूहों के जनजातीय एवं गैर-जनजातीय समूह।**
- **अध्ययन किए गए गुणसूत्रों के प्रकार:** गैर-लैंगिक गुणसूत्र (ऑटोसोम) और लैंगिक गुणसूत्र (X व Y)।

यह अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है?

- **विशिष्ट आनुवंशिक स्वरूप को समझना:** किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण में लगभग 0.1% का ही अंतर होता है।
  - व्यक्तियों के बीच ये **आनुवंशिक विविधताएं हमारी रोग पूर्ववृत्तियों (Predisposition) और दुर्लभ वंशानुगत विकारों** को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
  - यह इन **समुदायों के इतिहास, प्राकृतिक चयन और अनुकूलन को समझने** में मदद करेगा।
- **एक संदर्भ पैनल का निर्माण:** यह भविष्य में किए जाने वाले छोटे पैमाने के अध्ययनों के लिए **उपयोगी एक वेरिएंट पैनल बनाने** में मदद करेगा। इससे भारतीय आबादी में जीन और बीमारियों के बीच संबंध जोड़ने में आसानी होगी।
- **स्वास्थ्य सेवा में अनुप्रयोग:** यह कम लागत वाली **डायग्नोस्टिक किट विकसित करेगा।** साथ ही, **रोग निदान और दवा प्रतिक्रियाओं आदि के आनुवंशिक आधार का पूर्वानुमान** लगाकर सटीक चिकित्सा प्रयासों को आगे बढ़ाएगा।
  - यह **लोक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों** को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा।

जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट

उत्पत्ति

इसकी शुरुआत **2020 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग** ने की थी। इसका लक्ष्य **भारत की आनुवंशिक विविधता का मापन** करना है। इसमें **20 संस्थानों का सहयोग** शामिल है।

उद्देश्य

इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य भारतीय आबादी में पाए जाने वाली जीन संबंधी विविधताओं की एक व्यापक सूची बनाना है, जो **हमारी विविधता को बेहतर ढंग से प्रदर्शित** कर सके।

उपलब्धि

10,000 नमूनों का पूर्ण जीनोम अनुक्रमण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इससे भारत की विशिष्ट आनुवंशिक विविधता की एक समग्र सूची तैयार की जा रही है।

डेटा संग्रहण

इस प्रोजेक्ट से संबंधित सभी डेटा को **भारतीय जैविक डेटा केंद्र (IBDC),** फरीदाबाद (हरियाणा) में संग्रहित किया गया है।

केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के विलय के चौथे चरण की घोषणा की

केंद्र सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने **"एक राज्य एक RRB"** सिद्धांत के आधार पर **26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के विलय की अधिसूचना** जारी की।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** केंद्र सरकार ने **व्यास समिति** की सिफारिशों के आधार पर **2004–05** में RRBs का विलय शुरू किया था।
  - तीन चरणों के विलय के पश्चात **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 से घटकर** 2020–21 तक **43** हो गई थी।
- **कानूनी प्रावधान:** उपर्युक्त विलय **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976** के तहत किए गए हैं।
- **एक राज्य एक RRB सिद्धांत:** प्रत्येक राज्य में **केवल एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक** होगा, जिसे **सार्वजनिक क्षेत्रक का एक प्रमुख बैंक प्रायोजित** करेगा।
  - **उदाहरण:** बिहार में **दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक** और **उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक** को मिलाकर **बिहार ग्रामीण बैंक** बनाया जाएगा। इसका **मुख्यालय पटना** में होगा और इसका प्रायोजक बैंक **पंजाब नेशनल बैंक** होगा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के बारे में

- **स्थापना: नरसिंहम वर्किंग ग्रुप (1975)** की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर, 1975 को RRBs की स्थापना हुई थी। इसके लिए **वर्ष 1975 में एक अध्यादेश जारी** किया गया था। इसके अगले वर्ष **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976** के तहत इसे और मजबूत किया गया था। इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है।
- **उद्देश्य:** लघु किसानों, मजदूरों, कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों को ऋण एवं बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके कृषि, व्यापार तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देना।
- **स्थापना:** केंद्र सरकार द्वारा **प्रायोजक बैंक के अनुरोध पर RRBs** स्थापित किए जाते हैं।
- **RRBs का स्वामित्व इस प्रकार है:**
  - केंद्र सरकार के पास 50%
  - राज्य सरकार के पास 15% तथा
  - प्रायोजक बैंक के पास 35%.
- **विनियमन और पर्यवेक्षण:**
  - RRBs का विनियमन **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** के अंतर्गत किया जाता है।
  - **NABARD इनका पर्यवेक्षण** करता है।
  - कर उद्देश्यों से **आयकर अधिनियम, 1961** के अंतर्गत इन्हें **सहकारी संस्थाओं** के रूप में दर्जा प्राप्त है।
- **RRBs के लिए मुख्य आवश्यकताएं:**
  - RBI के नियमानुसार इन्हें **9% का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR)** बनाए रखना अनिवार्य है।
  - **समायोजित निवल बैंक ऋण** (ANBC) या **ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर (CEOBE)** (जो भी अधिक हो) का **75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (PSL)** के रूप में वितरित करना होगा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय क्यों किया जा रहा है?

1. **कार्य-कुशलता बढ़ाने के लिए**
   पूंजी आधार में वृद्धि होगी, संचालन लागत में कमी आएगी और कर्मचारियों का सही से उपयोग किया जा सकेगा।
2. **प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए**
   सार्वजनिक क्षेत्रक के प्रायोजक बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा कम होगी।
3. **भविष्य की बैंकिंग हेतु तैयार रहने के लिए**
   AI, ब्लॉकचेन आधारित बैंकिंग, तथा बाजार में प्रतिस्पर्धा के बढ़ने से जुड़ी चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार रखने में मदद मलेगी।
4. **ग्राहकों हेतु सेवाओं में वृद्धि करने के लिए**
   प्रौद्योगिकी और अवसंरचना में सुधार होगा तथा कर्मचारियों को और अधिक कुशल बनाया जा सकेगा।
5. **प्रदत्त सेवाओं में वृद्धि के लिए**
   अधिक और हाई वैल्यू बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।

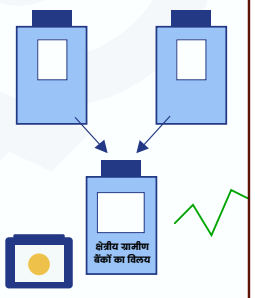

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को अधिसूचित किया

यह योजना उद्योगों द्वारा सामना की जा रही अलग-अलग चुनौतियों के आधार पर लक्षित सेगमेंट उत्पादों पर विभेदित राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करती है:

- योजना के तहत **मूल्य श्रृंखला में निवेश (वैश्विक/ घरेलू) को आकर्षित करके एक मजबूत घटक विनिर्माण इकोसिस्टम विकसित** किया जाएगा। इससे घरेलू मूल्य संवर्धन (DVA) में वृद्धि होने की संभावना है।
- **भारत के निर्यात का वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में हिस्सा बढ़ाया** जाएगा। इसके लिए देश के घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को **वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs)** से जोड़ा जाएगा।

भारत को इलेक्ट्रॉनिक घटकों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है?

- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** विशेष रूप से रक्षा और महत्वपूर्ण अवसंरचना मे विदेश निर्मित इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर निर्भरता डेटा उल्लंघन तथा आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसे जोखिम पैदा करती है।
  - GTRI के अनुसार, **चीन और हांगकांग** भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और इलेक्ट्रिकल उत्पादों के **56% आयात** के लिए जिम्मेदार हैं।
- **तैयार उत्पादों (End Products) के घरेलू उत्पादन के बावजूद आयात में वृद्धि:** MeitY की पिछली पहलों के कारण, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन वित्त वर्ष 2015 के 1.90 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर **वित्त वर्ष 2024 में 9.52 लाख करोड़ रुपये हो गया था।**
  - हालांकि, घटकों के आयात में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि घटक विनिर्माण के लिए **स्थानीय क्षमता अब भी अपर्याप्त** है।
- **रणनीतिक अवसर: चीन+1 शिफ्ट:** दुनिया की कई कंपनियां अब चीन से बाहर वैकल्पिक विनिर्माण स्थानों की तलाश कर रही हैं। ऐसे में भारत के पास **घटक और सब-असेंबली निर्माण में निवेश आकर्षित करने का सुनहरा अवसर** है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स का बढ़ता महत्त्व: डिजिटलीकरण** के कारण **इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों** में से एक बन गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना

वित्तीय प्रोत्साहन

- टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन
- पूंजीगत निवेश (कैपेक्स) प्रोत्साहन
- हाइब्रिड प्रोत्साहन

अवधि

- **टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन:** 6 वर्ष + 1 वैकल्पिक प्रारंभिक (जेस्टेशन) वर्ष (6+1)
- **कैपेक्स समर्थन:** स्वीकृति की तारीख से 5 वर्षों के भीतर किए गए निवेशों के लिए

पात्रता

- ग्रीनफील्ड (नई) और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए उपलब्ध

कार्यान्वयन विवरण

- **आधार वर्ष:** वित्तीय वर्ष 2024-25
- **प्रमुख एजेंसी:** परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA)

नवीनतम योजना से इस क्षेत्रक में **संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान** होने की उम्मीद है। इन चुनौतियों में नीति आयोग द्वारा वर्णित की गई उच्च पूंजीगत लागत, लंबी अवधि का जेस्टेशन (Gestation), कम लाभ मार्जिन, विस्तार की कमी आदि शामिल हैं।

पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पंचायत प्रगति सूचकांक जारी किया

देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 29 राज्यों की लगभग 2.16 लाख ग्राम पंचायतों के आंकड़ों का आकलन किया गया है।

- **पंचायत** का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए **अनुच्छेद 243B** के तहत गठित स्वशासन की संस्था से है।

पंचायत प्रगति सूचकांक (PAI) के बारे में

- **अवधारणा:** PAI एक बहु-क्षेत्रीय और बहु-क्षेत्रकीय सूचकांक है। इसका **पंचायतों के समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति का आकलन** करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- **उद्देश्य:** यह ये मापने का प्रयास करता है कि जमीनी स्तर की संस्थाएं स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को कितनी अच्छी तरह प्राप्त कर रही हैं।
- **थीम:** सूचकांक स्थानीय विकास से संबंधित **9 प्रमुख थीम्स के आधार पर पंचायतों का मूल्यांकन करता है (चित्र देखें)।**
- **पंचायत प्रगति सूचकांक (PAI) में श्रेणियां**
  - **अचीवर (0%):** इस वर्ष के आकलन में भारत की कोई भी पंचायत **'अचीवर' श्रेणी में जगह नहीं** बना पाई है।
  - **एस्पिरैंट (आकांक्षी) (61.2%):** इस श्रेणी में **सर्वाधिक संख्या** में पंचायतों ने अपना स्थान हासिल किया है।
  - **परफ़ॉर्मर (प्रदर्शनकर्ता) (36%):** काफी संख्या में पंचायतों ने **मध्यम स्तर** की प्रगति हासिल की है।
  - **फ्रंट-रनर (अग्रणी):** इस श्रेणी में सबसे अधिक पंचायतों के साथ **गुजरात** शीर्ष पर है।

पंचायत विकास से संबंधित थीम

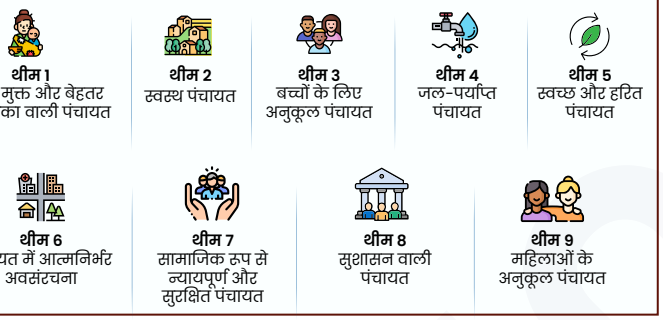

IUCN ने शेर (पेंथेरा लियो) के लिए पहला 'ग्रीन स्टेटस असेसमेंट' जारी किया

ग्रीन स्टेटस, IUCN रेड लिस्ट से संबंधित एक अनुपूरक साधन है। यह **प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति और उनके संरक्षण की सफलता के मापन का आकलन** करता है।

शेर (पेंथेरा लियो) के लिए पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट

- **शेर का ग्रीन स्टेटस:** इनकी **आबादी** काफी हद तक कम हो गई है, जबकि यह प्रजाति IUCN की **रेड लिस्ट में वल्नरेबल** के रूप में सूचीबद्ध है।
- **मानवीय प्रभाव:** मानवीय गतिविधियां शेर को उसके प्राकृतिक पर्यावास में पारिस्थितिक रूप से उसकी भूमिका निभाने में बाधा उत्पन्न कर रही हैं।
- **विलुप्त-क्षेत्र:** शेर उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण-पश्चिम एशिया में विलुप्त हो चुका है।
- **संरक्षण सफलता: पश्चिमी और दक्षिणी मध्य अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और भारत** के कुछ हिस्सों में किए गए प्रयासों से संभावित विलुप्ति को रोकने में मदद मिली है।

प्रजातियों का IUCN ग्रीन स्टेटस

- **प्रजातियों के IUCN ग्रीन स्टेटस के बारे में:** IUCN ने **2012 विश्व संरक्षण कांग्रेस में प्रजातियों, पारिस्थितिकी प्रणालियों और संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण की सफलता को मापने** के लिए "ग्रीन स्टेटस" के निर्माण का आह्वान किया था।
- **उद्देश्य:**
  - **रेड लिस्ट का पूरक:** रेड लिस्ट **प्रजाति के विलुप्त होने के जोखिम** पर ध्यान केंद्रित करती है। **ग्रीन स्टेटस** इस बात पर जानकारी प्रदान करता है कि प्रजातियों को कैसे **पुनर्प्राप्त** किया जा सकता है। साथ ही, इसके लिए **संरक्षण संबंधी कौन से उपाय** करना आवश्यक है।
  - **संरक्षण की सफलता पर प्रकाश डालना:** यहां तक कि विलुप्त होने के कम जोखिम वाली प्रजातियों (जैसे, खारे पानी के मगरमच्छ) को भी अपने ऐतिहासिक पर्यावास में पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। यह दर्शाता है कि **संरक्षण का अर्थ केवल प्रजाति को विलुप्त होने से रोकना मात्र नहीं है।**
- **श्रेणियां:** इसमें 8 पुनर्प्राप्ति चरण शामिल हैं, जैसे कि- पूर्णतः पुनर्प्राप्ति, कोई गिरावट नहीं, कम गिरावट, मध्यम गिरावट, बहुत अधिक गिरावट, गंभीर स्तर तक गिरावट, वन में विलुप्त तथा अनिश्चित स्थिति।
  - अब IUCN रेड लिस्ट में **प्रजातियों के आकलन के 100 से अधिक IUCN ग्रीन स्टेटस** शामिल हैं।

ग्रीन स्टेटस किस प्रकार प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति को निर्धारित करता है?

- **कोई प्रजाति पूर्णतः पुनर्प्राप्त हो जाती है यदि:**
  - **वह अपने ऐतिहासिक पर्यावास के सभी भागों** में मौजूद है (मानव प्रभाव के कारण नष्ट हुए क्षेत्रों सहित);
  - वह अपने पूरे पर्यावास में **व्यवहार्य आबादी में मौजूद** है (विलुप्त होने का खतरा नहीं है);
  - वह अपने पर्यावास के सभी भागों में **पारिस्थितिकी कार्य को संपन्न** करती है आदि।
- इन सभी कारकों के आधार पर **"ग्रीन स्कोर" (0-100%)** प्रदान किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि कोई प्रजाति पूर्णतः पुनर्प्राप्ति के कितने करीब है।

अन्य सुर्ख़ियां

भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध

हाल ही में, **दुबई के क्राउन प्रिंस भारत की यात्रा** पर आए थे।

- यह क्राउन प्रिंस की **भारत की पहली आधिकारिक यात्रा** थी।

यात्रा की मुख्य उपलब्धियां:

- **आईआईएम अहमदाबाद और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT)** के विदेशी कैंपस **दुबई** में खोले जाएंगे।
- **कोच्चि और वाडीनार में शिप-रिपेयर क्लस्टर** विकसित किए जाएंगे।
- **दुबई चैंबर ऑफ कॉमर्स का इंडिया ऑफिस** स्थापित किया जाएगा।
- **वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर (VTC):** इसके माध्यम से व्यापार को सुविधाजनक बनाने और **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEEC)** का समर्थन करने में **संयुक्त अरब अमीरात** की भूमिका को स्वीकार किया गया।

भारत-संयुक्त अरब अमीरात (UAE) संबंध:

- दोनों देशों के बीच **2015 से व्यापक और रणनीतिक साझेदारी** स्थापित है।
- **बहुपक्षीय सहयोग:**
  - दोनों देश **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEEC)** में शामिल हैं।
  - दोनों देश **ब्रिक्स के सदस्य** हैं।
  - दोनों देश **I2U2 (भारत-इजरायल-संयुक्त अरब अमीरात-संयुक्त राज्य अमेरिका)** के सदस्य हैं।
  - दोनों देश **UFI (संयुक्त अरब अमीरात-फ्रांस-भारत त्रिपक्षीय सहयोग)** में शामिल हैं।

कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) लिमिटेड

कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कपास की 100 लाख गांठों की खरीद की।**

कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) के बारे में:

- **नोडल मंत्रालय:** यह **केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय** के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है।
- **स्थापना:** इसकी स्थापना 1970 में हुई थी।
- **मुख्य कार्य:**
  - यह **न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितनी भी मात्रा** में कपास खरीद सकता है।
  - यह देश में **वस्त्र उद्योग की कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कपास की खरीद** करता है।
- **प्रमुख पहलें:**
  - **Cott-Ally मोबाइल ऐप:** यह ऐप **9 क्षेत्रीय भाषाओं में** उपलब्ध है। इस ऐप के जरिए किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में **रियल टाइम आधार पर जानकारी** प्राप्त कर सकते हैं।
  - CCI द्वारा खरीदी गई कपास की सभी गांठें **क्यूआर कोड के माध्यम से ट्रेसेबल** होती हैं।

हिमालयी पारिस्थितिकी-तंत्र के लिए अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गई

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने "आइस-क्रंच (ICE-CRUNCH)" नामक परियोजना की शुरुआत की और भारत के पहले उच्च ऊंचाई जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया।

- आइस-क्रंच/ ICE-CRUNCH (उत्तर-पश्चिमी हिमालय में हिम नाभिकीय कण और मेघ संघनन नाभिक गुण) भारत एवं स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों के बीच सहयोगात्मक अध्ययन है।

उच्च ऊंचाई वाले जलवायु अनुसंधान केंद्र के बारे में

- **अवस्थिति:** नाथाटॉप (जम्मू और कश्मीर)।
- **उद्देश्य:** जलवायु अनुसंधान, क्षमता निर्माण, युवा वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण और जलवायु मॉडलिंग क्षमताओं का विकास करना।
- **मुख्य भूमिका:** यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के ग्लोबल अट्मॉस्फेरिक वाच (GAW) कार्यक्रम से संबद्ध दीर्घकालिक अनुसंधान केंद्र के रूप में काम करेगा।

ओज़ोन प्रदूषण

IIT खड़गपुर द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि धरातलीय ओज़ोन प्रदूषण खासकर इंडो-गंगा के मैदान और मध्य भारत में प्रमुख खाद्य फसलों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है।

ओज़ोन प्रदूषण के बारे में

- **धरातलीय ओज़ोन:** ओज़ोन एक द्वितीयक प्रदूषक है। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं से बनती है।
- **प्रभाव:** यह स्मॉग (धुंध) को बढ़ती है, फसलों को नुकसान पहुंचाती है, और स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाती है।
- **AQI:** वायु गुणवत्ता सूचकांक धरातलीय ओज़ोन को दर्शाता है।

"निवेशक दीदी"

IEPFA और IPPB ने "निवेशक दीदी" पहल के दूसरे चरण को संयुक्त रूप से शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

निवेशक दीदी के बारे में

- इसका शुभारंभ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) के सहयोग से किया गया है।
- यह एक अनूठी पहल है, जो महिला डाक कर्मियों (महिला डाकिया) और कम्युनिटी लीडर्स को अपने स्थानीय क्षेत्रों में वित्तीय शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करती है।
- **उद्देश्य:** 'महिलाओं द्वारा, महिलाओं के लिए' वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में

- **स्थापन:** डाक विभाग (संचार मंत्रालय) भारत सरकार के अधीन स्थापित।
- **स्वामित्व:** 100% इक्विटी भारत सरकार के स्वामित्व में।
- **लॉन्च:** 2018 में।

चित्तौड़गढ़ किला

राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह चित्तौड़गढ़ किले के 10 किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है।

चित्तौड़गढ़ किले के बारे में

- **अवस्थिति:** राजस्थान में स्थित है।
- इस किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में स्थानीय मोरी राजपूत शासक चित्रांगद मोरी ने कराया था।
- **ऐतिहासिक महत्त्व**
  - चितौड़ मध्यकालीन मेवाड़ राज्य की राजधानी थी।
  - मलिक मुहम्मद जायसी की रचना 'पद्मावत' के अनुसार, अलाउद्दीन खिलजी ने चितौड़ के शासक रतन सिंह की रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण किया था।
  - रानी पद्मिनी ने अपने मान और मर्यादा की रक्षा के लिए सामूहिक जौहर (आत्मदाह) किया था।
- **सांस्कृतिक महत्त्व:** यह किला उन सात पहाड़ी किलों में से एक है जिन्हें 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

मातृ मृत्यु दर के रुझान का अनुमान 2000 से 2023 तक रिपोर्ट

यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मातृ मृत्यु अनुमान अंतर-एजेंसी समूह (MMEIG) द्वारा जारी की गई है।

- इस समूह में विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, UNFPA, विश्व बैंक समूह और UNDESA/ पॉपुलेशन डिवीजन शामिल हैं।
- 2030 तक मातृ मृत्यु दर को प्रति 100000 जीवित जन्मों पर 70 से कम करना सतत विकास लक्ष्यों में से एक है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- 2000 से 2023 तक वैश्विक स्तर पर मातृ मृत्यु में 40% की कमी आई है।
- मध्य और दक्षिणी एशिया में 2000 से 2023 तक मातृ मृत्यु दर (MMR) में सबसे अधिक गिरावट (72.9%) हुई है।
- 2023 में, नाइजीरिया में सबसे अधिक मातृ मृत्यु (लगभग 75 000 मृत्यु) हुई है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 19 000 रहा है।

इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने विश्व आर्थिक मंच के साथ मिलकर "इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर" पहल शुरू की।

इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर के बारे में

- इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर एक राष्ट्रीय सार्वजनिक-निजी सहयोग मंच है। इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रकों में कौशल विकास से संबंधित नवाचार और समाधान को सुगम बनाना है।
- **मुख्य उद्देश्य:** इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर का उद्देश्य तीन महत्वपूर्ण स्तरों पर बदलाव को प्रेरित करना है:
  - भविष्य की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना,
  - सहयोग और ज्ञान साझाकरण को बढ़ाना, तथा
  - उत्तरदायी कौशल इकोसिस्टम के लिए संस्थाओं और नीतियों में सुधार करना।
- **रणनीतिक फोकस क्षेत्र:** समावेशी कौशल उन्नयन, आजीवन सीखने में निवेश, AI, रोबोटिक्स और ऊर्जा जैसे वृद्धि की उच्च संभावना वाले क्षेत्रों के साथ सामंजस्य।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

स्लोवाकिया (राजधानी: ब्रातिस्लावा)

भारत की राष्ट्रपति स्लोवाकिया पहुंची।

स्लोवाकिया के बारे में

- **भौगोलिक अवस्थिति:**
  - **अवस्थिति:** स्लोवाकिया, मध्य यूरोप का एक भू आबद्ध देश है।
  - **सीमाएं:** इसके उत्तर में पोलैंड, पूर्व में यूक्रेन, दक्षिण में हंगरी, दक्षिण-पश्चिम में ऑस्ट्रिया, और उत्तर-पश्चिम में चेक गणराज्य स्थित है।
  - **संगठन:** स्लोवाकिया यूरोपीय संघ का सदस्य है
- **भौगोलिक विशेषताएं:**
  - **पर्वत:** कार्पेथियन पर्वत (हाई टाट्रास सबसे ऊंचा बिंदु है) और डेन्यूब नदी बेसिन।
  - **प्रमुख नदियां:** डेन्यूब (स्लोवाकिया और हंगरी के बीच की सीमा बनाती है)